राजस्थान अनुशासनिक कार्यवाही (साक्षियों का समन किया जाना और दस्तावेजों का पेश किया जाना)

अधिनियम, 1959

(1959 का अधिनियम संख्या 28)

(राज्यपाल की अनुमति दिनांक 24 मई, 1959 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य के कार्यकलाप के संबंध में लोक सेवाओं और लोक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों में साक्षियों की हाजिरी के लिए तथा दस्तावेजों के पेश के करने के लिए विवश करने का उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भः- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान अनुशासनिक कार्यवाही (साक्षियों का समन किया जाना तथा दस्तावेजों का पेश किया जाना) अधिनियम, 1959 है ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. अधिनियम का लागू होनाः- यह अधिनियम राज्य के कार्यकलाप के संबंध में लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध समस्त विभागीय जांचों पर लागू होगा।

3. परिभाषाएं:- जब तक विषय अथवा सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-

(क) "विभागीय जांच, से अभिप्रेत हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनायी गयी किसी विधिया नियम के, अथवा अनुच्छेद 313 के अधीन चालू रखे गये किसी नियम के अधीन और उसके अनुसार किसी व्यक्ति के विरुद्ध की गयी जांच; और

(ख) 'जांच प्राधिकारी' से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति के आचरण के बारे में विभागीय जांच करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार के किसी अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या प्राधिकारी और इसके

अन्तर्गत ऐसा कोई अधिकारी या प्राधिकारी भी है जो तद्रूपेण उक्त जांच करने के लिये अन्यथा अधिकृत है।

4. जांच प्राधिकारी की साक्षियों की हाजिरी के लिए और दस्तावेजों के पेश किये जाने के लिए विवश करने की शक्तियां:- (1) जांच प्राधिकारी को वहीं शक्तियां होंगी जो किसी वाद विचारण के समय, साक्षियों का समन करने और उन्हें हाजिर होने के लिये और दस्तावेजों को पेश करने के लिए विवश करने हेतु सिविल न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन निहित है।

(2) ऐसे जांच प्राधिकारी द्वारा साक्षियों की हाजिरी कारित कराने के लिए या दस्तावेजों को पेश करने के लिए विवश करने हेतु जारी की गयी सभी आदेशिकाएं ऐसे जिला न्यायाधीश की मार्फत तामील और निष्पादित की जायेगी जिसकी अधिकारिता में वह साक्षी या ऐसा अन्य व्यक्ति जिस पर आदेशिका तामील या निष्पादित की जानी है, निवास करता है।

5. नियम बनाने को शक्ति:- राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये नियम बना सकेगी।

सम्पतराज सिंघी,
विधि सचिव।